संख्या–2066/ III(2)/21–32(एम0एल0ए0)/2017 T.C.

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

मुख्य अभियन्ता (नियोजन),
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 19 जुलाई 2021

विषयः– **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र खानपुर के 10 विभिन्न निर्माण कार्यो (विस्तृत आगणन) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., देहरादून द्वारा विषयगत कार्यो हेतु उपलब्ध कराये गये संलग्न विवरणानुसार 10 आगणन जिनकी कुल लम्बाई 05.398 किमी0 लागत **₹197.92 लाख** है, पर **शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹184.93 लाख (₹ एक करोड चौरासी लाख तिरानवे हजार मात्र)** की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹0.10 लाख अर्थात 10 कार्य हेतु ₹1.00 लाख (₹ एक लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) विस्तृत आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये है तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नही किया जायेगा।

(iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय–सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(ix) यदि संलग्न कार्यो में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2017 एवं उक्त विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2022 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यो) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) ईट खण्डजा निर्माण कार्य में एबटमेन्ट(मिट्टी भरान) कार्य हेतु कार्य कराने से पूर्व तथा कार्य कराने के पश्चात के फोटाग्राफी अनिवार्य रूप से अभिलेखित किये जाय।

(xiii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22, लेखाषीर्शक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337 सडक निर्माण कार्य–03 राज्य सेक्टर–0302 नया निर्माण कार्य–53 वृहद निर्माण **(5054–04–800–03–02)** के नामे डाला जायेगा ।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–300/XXVII/(2)/2021 दिनांक 13 जुलाई, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नः यथोक्त। (कार्यो की सूची)

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/III(2)/21-32(एम0एल0ए0)/2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्ड़िग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि. देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो. नि. वि., लक्सर।
11. गाई फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 2066/III(2)/21-32(एम0एल0ए0)/2017 T.C. दिनांक 19 जुलाई, 2021 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

	कार्य का नाम	लम्बाई	शासन टी.ए.सी. द्वारा अनुमोदित लागत।	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
	2	3	4	
	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के अन्तर्गत ग्राम टोडा कल्याणपुर की आन्तरिक मार्गो का सी.सी. इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	0.505	24.11	0.10
	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के अन्तर्गत शिकारपुर में अनूप के खेत से मामचन्द के खेत की ओर ईंट खडण्जा व पुलिया का निर्माण कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	0.800	27.21	0.10
	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के अन्तर्गत ग्राम खटका की आन्तरिक मार्गो का सी.सी. इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	0.510	17.59	0.10
	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के अन्तर्गत ग्राम जलालपुर की आन्तरिक मार्गो का सी. सी. इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	0.583	23.30	0.10
	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के अन्तर्गत ग्राम ढाढेकी में पवन पुत्र कालू के खेत से महेन्द्र पुत्र रतिराम के खेत की ओर खडण्जा निर्माण का कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	0.500	14.04	0.10
	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के अन्तर्गत ग्राम कान्हेवाली में ज्ञान सिंह के खेत से ग्राम भौवाली की ओर खडण्जा निर्माण का कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	0.500	14.63	0.10
	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के अन्तर्गत ग्राम पौड़ावाली में प्र0 जोध सिंह के खेत से डा0 उदयवीर की फैक्ट्री की ओर खडण्जा निर्माण का कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	0.500	20.21	0.10
	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के अन्तर्गत ग्राम अकोढा कलां में मेन रोड़ से जयपाल के खेत की ओर एंव जगबीर के खेत से विनोद के खेत की ओर खडण्जा निर्माण का कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	0.500	14.67	0.10
	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के अन्तर्गत ग्राम बालचन्दवाला में नरसिंह के खेत से राजेन्द्र सिंह के खेत की ओर तथा ग्राम भारूवाला में चरण सिंह के खेत से सुरेन्द्र के खेत की ओर खडण्जा निर्माण का कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	0.500	15.03	0.10
	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के अन्तर्गत ग्राम शेखपुरी से प्रा0 स्कूल के मा0 सुभाष के खेत की ओर खडण्जा निर्माण का कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	0.500	14.14	0.10
	योगः–	**5.398**	**184.93**	**1.00**

(कुल ₹ एक लाख मात्र)

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

IFMS Uttarakhand

आवंटन पत्र संख्या -2066/III(2)/21-32(MLA)2017 TC
अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-S21070220026
आवंटन पत्र दिनांक-19-JUL-2021

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04-District and other Roads
	337-सडक निर्माण कार्य	03-राज्य सेक्टर
	02-नया निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02से स्थानान्तरित)	Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	3380000	100000	0	3480000
योग	3380000	100000	0	3480000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.1,00,000 (Rupees One Lac Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–I" उत्तराखण्ड देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd **E-mail: eicpwduk@nic.in**

पत्रांक– 741 /20 याता0'क'/2021 दिनांक–13 .07.2021

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लक्सर।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

23/7/21
(आर0 पी0 एस0 पवार)